अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 61/2013

मिथिलेश कुमार ओझा —— अपीलार्थी

वनाम

नारायण भगत एवं राज्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.01.2013 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 252/2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी प्रथम पक्ष द्वारा मुख्य मंत्री के जनता दरबार में दिए गये आवेदन के आलोक में प्रस्तुत वाद भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत निम्नन्यायालय में दाखिल किया गया बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय में रेस्पोण्डेन्ट/वादी का वाद यह था कि नगरपरिशद के द्वारा बेचन झा के घर से गोपाल केशरी के घर होते हुए मसोमात पोखर तक 1200 फीट लम्बा पी0सी0सी0 निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया जिसके लिए भूमि लाभार्थियों द्वारा छोड़ा गया और वादी द्वारा अपनी खरीदगी एराजी 1 कट्ठा 1 धूर 5 धुरकी भूमि में से पूरब तरफ से कुछ एराजी सड़क हेतु जमीन छोड़ी और इसी सड़क हेतु छोड़ी गयी जमीन पर विपक्षी कब्जा करना चाहते हैं और इसी वजह से सड़क निर्माण कार्य भी बाधित किए हुए हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी का वाद यह था कि मौजा– सहरसा के पूराना खाता संख्या 838, नया खाता संख्या 50, पूराना खेसरा संख्या 4891, नया खेसरा संख्या 37 का कुल रकबा 2 कट्ठा 12 धूर भूमि अपीलार्थी के भाई शिवेश कुमार ओझा की पत्नी संगमित्रा देवी के नाम से निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या 554 वर्ष 1995 एवं केवाला दस्तावेज संख्या 558 वर्ष 1995 के माध्यम से कमशः बालकृष्ण तांती एवं अन्य वो खुबलाल तॉती एवं अन्य से क्रय किया गया है एवं बाद खरीदगी के केता भूमि पर शांतिपूर्वक रूप से दखलकार चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि जमाबंदी संख्याः 405 संगमित्रा देवी के नाम से चल रही है वो मालगुजारी भुगतान कर रेंट रसीद प्राप्त है। प्रश्नगत विवादी भूमि पर अपीलार्थी द्वारा पक्का मकान बनवाया गया जहॉ वे सपरिवार रहते आये। आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी/ प्रतिवादी द्वारा रेस्पोण्डेन्ट/वादी प्रथम पक्ष की किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है क्योंकि रेस्पोण्डेन्ट/वादी प्रथम पक्ष द्वारा अपनी खरीदगी भूमि 1 कट्ठा 1 धूर 5 धुरकी में से एक इंच

भूमि नहीं छोड़ी गयी है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा मुख्यमंत्री जनता दरबार में दिनांक 01.08.2011 को समर्पित आवेदन पत्र में किसी भी खाता खेसरा अथवा चौहद्दी का जिक्र नहीं है अतएवं विवाद भूमि स्पष्ट नहीं होता है वो आगे कथन करते हैं कि नगर परिषद द्वारा भी जनोपयोगी सड़क की कब्जे से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है और न ही उन्हें वाद का पक्षकार ही बनाया गया है जिसे यह स्पष्ट होता है कि स्थल पर कोई सड़क ही नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित भूमि से संबंधित अंचलाधिकारी, कहरा, सहरसा द्वारा दिनांक 22.12.12 को समर्पित प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोण्डेन्ट प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा सड़क निर्माण हेतु कोई भूमि नहीं छोड़ी गयी है जबकि अपीलार्थी/प्रतिवादी अपनी खरीदगी भूमि पर पक्का मकान बनाकर भोग तसरूफ करते है वो अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा कोई भी जमीन कब्जाई नहीं गयी है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा निम्न न्यायालय में वाद के संदर्भ में यह कथन किया गया कि नगर परिषद के द्वारा बेचन झा के घर से गोपाल केसरी के घर होते हुए मसोमात पोखर तक 1200 फीट लम्बा पी0 सी0 सी0 निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके लिये भूमि लाभार्थियों द्वारा छोड़ा गया और रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा अपनी खरीदगी ऐराजी 1 क0 1 धूर 5 धुरकी में से पूरब तरफ से कुछ ऐराजी सड़क हेतु जमीन छोड़ी और इसी सड़क हेतु छोड़ी गई जमीन पर विपक्षी कब्जा करना चाहते हैं और इसी वजह से सड़क निर्माण कार्य भी बाधित किए हुए हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा